पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

भारत के राज्य संप्रतीक 'अशोक चिन्ह' का अनाधिकृत प्रयोग न किया जाय-राज्यपाल

लखनऊः 13 नवम्बर, 2014

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने भारत के राज्य चिन्ह (India's State Emblem) 'अशोक चिन्ह' के अनाधिकृत प्रयोग को संज्ञान में लेते हुए कहा है कि 'भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) अधिनियम 2005 एवं भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) नियम 2007' के अंतर्गत अधिकृत व्यक्तियो, संस्थाओं व संगठनों आदि के अलावा अन्य महानुभावों द्वारा प्रयोग न किया जाये। उनकी जानकारी में आया है कि कुछ महानुभावों द्वारा पत्राचार आदि में अपने निजी लेटर पैड व अन्य लेखन सामग्री पर राष्ट्रीय चिन्ह का नियम विरूद्ध प्रयोग किया जा रहा है।

राज्यपाल श्री राम नाईक ने कहा है कि 'भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम 2005' के अनुसार यह एक दण्डनीय अपराध है। अधिनियम में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति धारा-3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो उसे दो वर्ष की कारावास या पांच हजार रूपये तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा तथा कोई व्यक्ति, जो व्यक्तिगत लाभ के लिये धारा-4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो उसे ऐसे अपराध के लिये ऐसे कारावास से जिसकी अवधि छः माह से कम की नहीं होगी, किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच हजार रूपये तक हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।

ज्ञातव्य है कि 'भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) नियम 2007' में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कौन-कौन व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है और कौन-कौन इसका प्रयोग नहीं कर सकते हंै। उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम में दी गयी वर्जना के अनुसार भूतपूर्व मन्त्रियों, भूतपूर्व संसद सदस्यों, विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों, भूतपूर्व न्यायाधीशों व सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों आदि द्वारा अपने लेटर पैड एवं अन्य लेखन सामग्री पर भारत के सरकारी चिन्ह का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार उक्त नियमों के अन्तर्गत प्राधिकृत किये बिना कोई आयोग, समिति, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, बैंक, नगरपालिका परिषद, पंचायतराज संस्था, परिषद, गैर-सरकारी संगठन, विश्वविद्यालय, संगम (Association) या व्यक्ति निकाय (Body of persons), चाहे निगमित हों या नहीं, सरकारी चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

नियमों में यह भी उल्लेख है कि सरकारी चिन्ह का प्रयोग करने के लिए अधिकृत व्यक्ति भी किसी लेखन सामग्री जैसे लेटरहेड, परिचय कार्ड, बधाई कार्ड आदि पर अपने नाम के साथ अधिवक्ता, संपादक, चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट जैसे शब्द प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उक्त नियमों में इस आशय की भी वर्जना की गई है कि कोई व्यक्ति किसी व्यापार, कारोबार, आजीविका आदि के प्रयोजन के लिए या किसी पेटेण्ट के शीर्षक में या किसी व्यापार चिन्ह अथवा डिजाइन में राज्य चिन्ह या उससे मिलती-जुलती नकल का प्रयोग नहीं कर सकता है।